अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	21549,87,00			
			21549,89,00	9112,41,68	-12437,47,32
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12436,44,43
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	588,08,00			
			589,07,00	587,92,48	-1,14,52
पूरक	Supplementary	99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,14,49

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	212952.00			
			..	..	..
पु.	R.	-212952.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	1938525.00			
पू.	S.	2.00	907782.61	907679.85	-102.76
पु.	R.	1030744.39			

(I) पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत ₹848833.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹847686.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्राम एवं लघु उद्योग – खादी एवं ग्रामोद्योग – खादी, ग्राम कॉयर उद्योग का विकास" – ₹7176.00 लाख;

(ख) "ग्राम एवं लघु उद्योग – कॉयर उद्योग – खादी ग्राम कॉयर उद्योग का विकास" – ₹2646.00 लाख;

(ग) "ग्राम एवं लघु उद्योग – अन्य ग्राम उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं अन्य ऋण सहायता योजनाएं" – ₹46200.00 लाख;

(घ) "ग्राम एवं लघु उद्योग – अन्य व्यय – उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1140.00 लाख।

(ङ) "ग्राम एवं लघु उद्योग – लघु उद्योग" –

(I) Provision of ₹848833.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹847686.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village & Coir Industries" - ₹7176.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi Village & Coir Industries" - ₹2646.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Other Village Industries - Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹46200.00 lakhs;

(d) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Entrepreneurship and Skill Development" - ₹1140.00 lakhs.

(e) "Village and Small Industries - Small Scale Industries" -

(i) "बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम" – ₹8997.00 लाख; और

(ii) "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना" – ₹47519.00 लाख;

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(iii) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं"– ₹98131.00 लाख; और

(i) "Infrastructure Development Programme" - ₹8997.00 lakhs; and

(ii) "PM Vishwakarma Scheme" - ₹47519.00 lakhs;

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹98131.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" – "लघु उद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं" – ₹635877.00 लाख।

(B) Major Head "2851" - "Small Scale Industries - Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹635877.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत एनपीए के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास धन की उपलब्धता की वजह से गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आवश्यकता की मांग न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-expression of requirement by Department of Financial Services under Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility owing to availability of funds with National Credit Guarantee Trustee Company against NPAs.

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन एवं प्रशासन – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त" – ₹2234.46 लाख की बचत (₹20972.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती/सेवानिवृत्ति की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises" - saving of ₹2234.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20972.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals owing to transfer/posting/retirement of staff/officials.

(खा) "लघु उद्योग" –

(B) "Small Scale Industries" -

(क) "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना" – ₹10545.91 लाख की बचत (₹313362.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से ब्याज अनुदान, क्रेडिट गारंटी शुल्क, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, टूलकिट प्रोत्साहन, विपणन सहायता और आउटरीच और जागरूकता योजना के तहत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "PM Vishwakarma Scheme" - saving of ₹10545.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹313362.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under the scheme for Interest Subvention, Credit Guarantee Fees, Incentive for Digital Transactions, Toolkit Incentive, Marketing Support and Outreach and Awareness, scheme being demand driven.

(ख) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹1002.04 लाख की बचत (₹6415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹1002.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6415.00 lakhs);

(ग) "बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम" – ₹112278.48 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.75 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹241703.75 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹112278.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹241703.75 lakhs including token supplementary grant of ₹0.75 lakh obtained in December, 2024); and

(गा) "खादी और ग्रामोद्योग" –

(C) "Khadi and Village Industries" -

(क) "खादी, ग्राम एवं कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹8449.85 लाख की बचत (₹83714.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹8449.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹83714.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत योजना मांग आधारित होने की वजह से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to receipt of less viable proposals, scheme being demand driven.

(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹574.84 लाख की बचत (₹1330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना' (एएसपीआईआरई) के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(b) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹574.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1330.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under 'A Scheme For Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship' (ASPIRE), scheme being demand driven.

(घा) "कॉयर उद्योग – खादी, ग्राम एवं कॉयर उद्योगों

(D) "Coir Industries - Development of Khadi,

का विकास" – ₹19640.59 लाख की बचत (₹27039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना' (एसएफयूआरटीआई) के अंतर्गत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

Village & Coir Industries" - saving of ₹19640.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27039.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under 'Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries' (SFURTI), scheme being demand driven.

(ड.) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹6768.85 लाख की बचत (₹12816.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से 'खादी ग्रामोद्योग विकास योजना' (केजीवीवाई), 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना' (एस्पायर) और 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना' (एसएफयूआरटीआई) के तहत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹6768.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12816.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under the Scheme 'Khadi Gramodyog Vikas Yojana' (KGVY), 'A Scheme For Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship' (ASPIRE) and 'Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries' (SFURTI), scheme being demand driven.

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं" – ₹216820.00 लाख की बचत (₹249196.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास एनपीए के तहत धन की उपलब्धता के कारण गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आवश्यकता की मांग न करने के कारण हुई।

(b) "Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹216820.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹249196.00 lakhs) was due to non-expression of requirement by Department of Financial Services under Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility owing to availability of funds with National Credit Guarantee Trustee Company against NPAs.

(ग) "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना" – ₹18283.00 लाख की बचत (₹81469.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से ब्याज अनुदान, क्रेडिट गारंटी शुल्क, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, टूलकिट प्रोत्साहन, विपणन सहायता और आउटरीच और जागरूकता योजना के तहत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(c) "PM Vishwakarma Scheme" - saving of ₹18283.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81469.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under the scheme for Interest Subvention, Credit Guarantee Fees, Incentive for Digital Transactions, Toolkit Incentive, Marketing Support and Outreach and Awareness, scheme being demand driven.

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "खादी ग्राम एवं कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹3587.17 लाख की बचत (₹6588.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना' (एएसपीआईआरई), 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना' (एसएफयूआरटीआई) और कॉयर विकास योजना, के तहत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं" – ₹106565.00 लाख की बचत (₹129893.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास एनपीए के तहत धन की उपलब्धता के कारण गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आवश्यकता की मांग न करने के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना" – ₹6742.00 लाख की बचत (₹40050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से ब्याज अनुदान, क्रेडिट गारंटी शुल्क, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, टूलकिट प्रोत्साहन, विपणन सहायता और आउटरीच और जागरूकता योजना के तहत कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1552.43 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹119996.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई,

(F) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Development of Khadi Village & Coir Industries" - saving of ₹3587.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6588.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under the Scheme 'A Scheme For Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship' (ASPIRE), 'Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries' (SFURTI) and Coir Vikas Yojana, scheme being demand driven.

(b) "Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹106565.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹129893.00 lakhs) was due to non-expression of requirement by Department of Financial Services under Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility owing to availability of funds with National Credit Guarantee Trustee Company against NPAs.

(c) "PM Vishwakarma Scheme" - saving of ₹6742.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40050.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals under the scheme for Interest Subvention, Credit Guarantee Fees, Incentive for Digital Transactions, Toolkit Incentive, Marketing Support and Outreach and Awareness, scheme being demand driven.

(III) Under four heads savings of ₹1552.43 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹119996.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में मुख्य शीर्ष "2851" – "अन्य ग्रामोद्योग – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएँ" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹119994.75 लाख था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under Major Head "2851" - "Other Village Industries - Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes". Actual excess, however, was ₹119994.75 lakhs.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹904.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 35 प्रतिशत था।

(II) Under two heads excess of ₹904.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent and 35 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹114.52 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹99.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹114.52 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹99.00 lakhs obtained in March, 2025 and constituted nearly 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4552" Major Head "4552"					
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	5750.00	..	..	..
पु.	R.	-5750.00			
मुख्य शीर्ष "4851" Major Head "4851"					
ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Village and Small Industries					
मू.	O.	53008.00			
पू.	S.	99.00	58792.51	58792.48	-0.03
पु.	R.	5685.51			

(I) ₹5800.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5750.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "लघु उद्योग – निधियों का कोष" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4851" – "लघु उद्योग– निधियों की कोष" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹5750.00 लाख का अधिक व्यय (₹37260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provisions of ₹5800.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹5750.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Small Scale Industries - Fund of Funds" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4851" - "Small Scale Industries - Funds of Funds" - excess of ₹5750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37260.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.